दैनिक भास्कर रतलाम 05-06-2026

गोविंदा को लॉन्च करने वाले दिग्गज निर्माता पहलाज निहलानी का निधन

मुंबई | दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर और सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी (76) का गुरुवार को मुंबई स्थित आवास पर निधन हो गया। वे लंबे समय से लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका अंतिम संस्कार सांताक्रूज श्मशान घाट में किया गया। 10 जनवरी 1950 को जन्मे पहलाज ने 1982 में फिल्म 'हथकड़ी' से निर्माता के रूप में करियर शुरू किया था। बाद में 'इल्जाम', 'गुनाहों का फैसला', 'शोला और शबनम', 'आंखें' तथा 'तलाश' जैसी फिल्मों के प्रोडक्शन में शामिल रहे। 1986 की फिल्म 'इल्जाम' से गोविंदा को पहचान दिलाने में पहलाज ने अहम भूमिका निभाई, जबकि 1987 में 'आग ही आग' के जरिए चंकी पांडे ने बॉलीवुड में कदम रखा।

पेज 1 का शेष

भास्कर पड़ताल में इनकी डिग्री-रजिस्ट्रेशन भी फर्जी

▪ अरुण कुमार

खंडवा के संजीवनी क्लीनिक के लिए पदस्थापना आदेश जारी हुआ था। एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर MP-85467 फर्जी पाया गया और इस नंबर पर कोई डॉक्टर पंजीकृत नहीं मिला। जांच में रजिस्ट्रेशन एआई से तैयार होना पाया गया। ज्वाइनिंग के लिए बुलाने पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया।

▪ कमल किशोर

एमसीआई पंजीयन नंबर फर्जी पाया गया। अंकसूचियां भी फर्जी तरीके से तैयार मिलीं। दस्तावेजों में इस्तेमाल फॉन्ट्स आपस में मेल नहीं खाते।

▪ पवन सोलंकी

सिंगरौली के पवन सोलंकी ने डॉ. नवीन चंद्रवंशी का पंजीयन नंबर (MP-21262) इस्तेमाल किया। रजिस्ट्रेशन दस्तावेज एआई से तैयार पाए गए और डिग्री भी फर्जी मिली।

▪ सोनम यादव

भोपाल के बैरागढ़कलां में पदस्थ सोनम का एमसीआई पंजीयन प्रमाण-पत्र एआई की मदद से तैयार पाया गया। पंजीयन नंबर भी फर्जी निकला। मामला सामने आने के बाद वह अवकाश पर चली गईं और फोन बंद कर लिया।

▪ शांति साहू

छिंदवाड़ा के संजीवनी क्लीनिक में पदस्थ शांति साहू का एमसीआई पंजीयन नंबर फर्जी निकला। जांच में रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट एआई की मदद से तैयार होना सामने आया। स्थानीय स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन भी नहीं किया गया था।

संजीवनी क्लीनिकों से दूरी बनाने लगे मरीज

फर्जी डॉक्टरों के खुलासे का असर अब संजीवनी क्लीनिकों पर दिखने लगा है। नियुक्ति और जांच कार्रवाई के बाद कई जिलों में मरीज इन क्लीनिकों से दूरी बनाने लगे हैं। दमोह जिले के एक केंद्र पर पिछले तीन दिन से एक भी मरीज नहीं पहुंचा, जबकि दूसरे केंद्र पर सिर्फ बीपी और शुगर की नियमित दवा लेने वाले मरीज आ रहे हैं। कई जगह क्लीनिक आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं।

पकड़े जाने की भनक लगी तो इस्तीफा देकर चले गए

जांच शुरू होते ही कई संविदा डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी। शिवपुरी की संजीवनी क्लीनिक में पदस्थ आकाश चंदेलकर ने 19 मई को सीएमएचओ को इस्तीफा भेजा। कारण बताया- प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। इससे पहले वह जौरा में भी डॉक्टर रह चुका था।

▪ मुरैना के गांटे नगर उत्तमपुरा निवासी हरेंद्र दिनकर ने फर्जी एमबीबीएस डिग्री के आधार पर जौरा की संजीवनी क्लीनिक में डॉक्टरी की। 17 मई को दमोह में फर्जी डॉक्टरों पर एफआईआर हुई और दो दिन बाद, 19 मई को उसने इस्तीफा दे दिया। वजह बताई— पिता का निधन, मां की बीमारी और खेती-बाड़ी की जिम्मेदारी।

▪ विदिशा की संजीवनी क्लीनिक में पदस्थ मुकेश जाटव और मुकेश कुमार दस्तावेज मांगे जाने के बाद गायब हो गए। विदिशा सीएमएचओ डॉ. रामहित कुमार के मुताबिक, 29 अगस्त 2025 को निरीक्षण के दौरान दोनों की योग्यता पर संदेह हुआ। दस्तावेज मांगे गए तो दोनों 30 अगस्त से नहीं आए। बाद में एक ने कम वेतन और दूसरे ने पिता की बीमारी का हवाला देकर 11 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया। सीएमएचओ का कहना है कि नवंबर 2025 में एनएचएम को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया था, लेकिन न कोई निर्देश मिले, न कार्रवाई हुई।

विश्व पर्यावरण दिवस आज | प्रकृति को बचाने के लिए दुनिया के सफल प्रयोग और मॉडल

दुनिया के देश, जिन्होंने प्रकृति से सिर्फ संसाधन नहीं लिए, अधिकार भी दिए

देश जिसने प्रकृति को जीवित माना

इक्वाडोर : संविधान में प्रकृति को इंसानों जैसे अधिकार

- 2008 में इक्वाडोर ने संविधान में प्रकृति के अधिकार को शामिल किया।
- जब यहां सड़क बनाने से नदी को नुकसान हो रहा था तो स्थानीय लोगों ने नदी की ओर से मुकदमा लड़ा और निर्माण रुकवाया।
- यहां प्रकृति को जीवित इकाई माना गया। लोग प्रकृति के नुकसान को रोकने स्वयं आते हैं।

जहां पेड़ लगाए बिना डिग्री नहीं मिलती

फिलीपींस : ग्रेजुएशन से पहले 10 पेड़ लगाने का कानून

- फिलीपींस में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने से पूर्व 10 पेड़ लगाने का कानून है।
- ग्रेजुएशन लेगसी फॉर द एनवायरनमेंट एक्ट के तहत अब छात्र हर साल मैंग्रोव क्षेत्रों व शहरों में पेड़ लगाते हैं।
- यह नियम प्रकृति की भरपाई के साथ ही युवाओं को प्रेरित भी कर रहा है।

यहां पेड़ों की संख्या हो गई दोगुनी

कोस्टा रिका : पेड़ नहीं काटने पर मिलता है नकद इनाम

- कोस्टा रिका में किसानों को पेड़ों को नहीं काटने पर नकद भुगतान होता है।
- 1980 में देश वनों की कटाई से प्रभावित था। तब यह कानून लाकर और जीवाश्म ईंधन पर टैक्स लगाकर लोगों को पैसा दिया गया।
- 1980 के दशक में देश का 25% हिस्सा जंगल था, आज बढ़कर 50% से ज्यादा।

इन्होंने खाना फेंकने को अपराध माना

फ्रांस में भोजन को फेंकने पर रोक, मीथेन उत्सर्जन थमा

- फ्रांस सरकार ने सुपरमार्केट्स के खाना फेंकने को गैरकानूनी करार दिया है।
- 2016 में आए कानून के तहत ये खाना अनिवार्य रूप से फूड बैंकों या चैरिटी संस्थाओं को दान करना पड़ता है।
- लाखों टन भोजन सड़ने से बनने वाली मीथेन से होने वाला नुकसान रुक गया।

सड़कों के लिए पेड़ काटना बंद किया

बोलीविया में कारों की जगह इलेक्ट्रिक केबल कारों पर जोर

- बोलीविया में कारों को नियंत्रित कर केबल कार नेटवर्क बढ़ाने पर फोकस।
- सड़कें बनाने में पेड़ों का काटना रुक गया। इलेक्ट्रिक सिस्टम होने से कार्बन उत्सर्जन भी घट गया।
- लोग केबल कारों में सफर करते हैं। ट्रैफिक व प्रदूषण नियंत्रण का मॉडल सफल रहा।

जैकेट 3 के शेष

भाजपा से राष्ट्रीय महासचिव चुघ...

कुरियन-बिट्टू का टिकट कटा, कैबिनेट में फेरबदल के संकेत : उम्मीदवारों के चयन से भाजपा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल के संकेत भी दिए हैं। अल्पसंख्यक कार्य तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन व रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को इस बार राज्यसभा में दोबारा मौका नहीं मिला है। ऐसे में दोनों नेताओं के केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर होने की अटकलें तेज हो गई हैं।

कुरियन नहीं दिखा पाए कोई असर, इसलिए छुट्टी : भाजपा ने कुरियन को केरल विधानसभा चुनावों में कोट्टायम जिले की कांजीरापल्ली सीट से विस चुनाव लड़ाया था, लेकिन करीब 27 हजार वोटों को साथ वे तीसरे स्थान पर रहे। केरल में भाजपा ने उन्हें अल्पसंख्यक (ईसाई) चेहरे के तौर पर भाजपा के पक्ष में समर्थन जुटाने का जिम्मा सौंपा था, जिसमें वे पूरी तरह नाकाम साबित रहे। हालांकि सरकार बिना सांसद रहे भी अधिकतम 6 माह तक मंत्री बनाए रख सकती है। अगला राज्यसभा चुनाव छह माह बाद नवंबर में उत्तरप्रदेश की 11 और उत्तराखंड की 1 सीट पर है। जिसमें उन्हें टिकट मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं हैं।

12वीं गणित में 19 प्रश्न गायब...

जानिए; कैसे छात्रों के नंबरों में हुई गड़बड़ीः 1. 10वीं में 81% अंक, अब 12वीं में फेल : भव्या नीट यूजी की तैयारी कर रही हैं। उसके 10वीं कक्षा में 81% अंक थे, लेकिन 12वीं में उसे फेल कर दिया। इससे वह नीट-यूजी की रेस से बाहर हो गईं। भव्या का कहना है कि अंक उम्मीद से बेहद कम आए हैं। अव्यवस्था से निराश भव्या ने स्क्रूटनी या रि-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन भी नहीं किया, क्योंकि उसका प्रक्रिया से भरोसा उठ चुका है।

2. जेईई में 90 पर्सेंटाइल, पर 12वीं में फेल : कनिष्क ने जेईई मेन-2026 में 88 पर्सेंटाइल स्कोर से क्वालिफाई किया, जिससे उसे एनआईटी में सीट मिलने की उम्मीद थी। जेईई एडवांस्ड की परीक्षा में भी अच्छे अंक हैं। आईसीएसई बोर्ड से 90% से अधिक अंकों के साथ 10वीं परीक्षा पास की। इसके बाद कोटा में रहकर कोचिंग की, लेकिन 12वीं में उसे फेल कर दिया। साल बचाने के लिए अब एनआईओएस बोर्ड से दोबारा परीक्षा दी है।

3. एडवांस्ड क्वालिफाई किया, पर बोर्ड में 75% का क्राइटेरिया अटका : कोटा में पढ़ रहे एक छात्र ने जेईई मेन 2026 में बेहतरीन स्कोर कर जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन सीबीएसई में केवल 68 फीसदी अंक मिले, जबकि एडवांस्ड के माध्यम से आईआईटी में प्रवेश के लिए न्यूनतम 75 फीसदी अंक अनिवार्य है।

4. 94 पर्सेंटाइल के बावजूद 69% पर सिमटे : एक अन्य स्टूडेंट के जेईई मेन में 94 पर्सेंटाइल आए थे। उसने जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन सीबीएसई की गलती के कारण उसे केवल 69 प्रतिशत मार्क्स मिले।

JEE उम्मीदवारों ने मांगी 75% पात्रता नियम में छूट, IIT रुड़की का इनकार : सीबीएसई के ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में मूल्यांकन संबंधी गड़बड़ियों के चलते कई जेईई उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। अच्छे जेईई रैंक के बावजूद 12वीं में 75% अंक न ला पाने वाले छात्रों ने इस पात्रता नियम में एकमुश्त छूट की मांग की है। इस वर्ष 'जेईई एडवांस्ड 2026' के आयोजक IIT रुड़की ने नियमों में किसी भी ढील से साफ इनकार कर दिया है।

संस्थान ने कहा कि 36 अलग-अलग बोर्ड्स के छात्र इसमें शामिल होते हैं और नियम दिसंबर में ही तय हो चुके थे, इसलिए अंकों में कटौती संभव नहीं है। हालांकि, आईआईटी रुड़की प्रभावित छात्रों के भविष्य के लिए सीबीएसई से लगातार संपर्क में है। नियमों के तहत आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश के लिए 12वीं में न्यूनतम 75% या टॉप 20 पर्सेंटाइल में होना अनिवार्य है।

महिला के नाम पर लोन उठाया, फाइनेंस कंपनी के मैनेजर और युवती पर केस दर्ज

वॉशिंग मशीन का लोन कराने पहुंची तो पता चला पहले से लोन ले रखा है

इंदौर | क्राइम ब्रांच ने फर्जी दस्तावेजों के जरिये लोन स्वीकृत कर रकम हड़पने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में एक फाइनांस कंपनी के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर, कस्टमर सर्विसेस रिप्रेजेंटेटिव और एक महिला को आरोपी बनाया गया है। तीनों ने पीड़िता के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर 40 हजार का फर्जी लोन निकाल लिया था। तीनों से पूछताछ की जा रही है।

क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी के अनुसार, आरोपियों के नाम राहुल पोरवाल (तत्कालीन कस्टमर सर्विसेस रिप्रेजेंटेटिव, आरोहन फाइनांस कंपनी) निवासी नगीन नगर, दिलीप यादव (तत्कालीन ब्रांच मैनेजर, आरोहन फाइनांस कंपनी) बर्फानी धाम और अमरीन पति अमजद/साजिद निवासी चम्पा बाग हैं।

डीसीपी के अनुसार, जूनी इंदौर निवासी अमरीन बेग ने शिकायत की थी कि बीते जुलाई में वॉशिंग मशीन खरीदने एक शोरूम गई थी। मशीन के लिए उन्हें लोन लेना था। प्रक्रिया के दौरान पता चला कि मेरे नाम पर पहले से आरोहन फाइनांस (केशरबाग रोड ब्रांच) का 40 हजार रुपए का लोन चल रहा है। किस्तें न चुकाने के कारण मुझे डिफाल्टर तक घोषित किया जा चुका था।

जैकेट इनसाइड का शेष

गांवों की रातों से गायब हो रहे जुगनू, यह पर्यावरण...

विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक कृत्रिम रोशनी, प्रकाश प्रदूषण, रासायनिक कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग और प्राकृतिक आवासों का विनाश इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। वैज्ञानिकों ने विकसित देशों की तरह वन क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में सेंसर आधारित प्रकाश व्यवस्था अपनाने तथा कृषि क्षेत्रों में रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक विकल्पों को बढ़ावा देने की सलाह दी है।

जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड

रजि. कार्यालयः प्लॉट नं. 10, पैगाह कॉलोनी, सरदार पटेल रोड, सिकंदराबाद-500003 तेलंगाना, भारत CIN : U40109TG1997PLC028483

(गुरु अमर दास थर्मल पावर लिमिटेड, GATPL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

(पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PSPCL की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली एक स्टेप डाउन सब्सिडियरी)

Competency

ऑफिसः प्लांट-हेड/GATP, प्रोक्योरमेंट सेल, GATP, गोइंदवाल साहिब का ऑफिस

रुचि का एक्सप्रेशन

प्लांट-हेड/GATP, प्रोक्योरमेंट सेल, गोइंदवाल साहिब का ऑफिस 'GVK पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड, गोइंदवाल साहिब में 50 एकड़ जमीन पर शुरू में 33 साल के लिए लीज पर सीमेंट प्लांट लगाने' के लिए इच्छुक पार्टियों से रुचि का एक्सप्रेशन (EOI) मंगाता है। काम के दायरे की डिटेल हमारी वेबसाइट www.pspcl.in पर उपलब्ध है। जमा करने की आखिरी तारीख 30-06-2026 सुबह 11.00 बजे है।

नोटः- अगर कोई सुधार और बदलाव होगा, तो उसे PSPCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.pspcl.in पर ऑनलाइन पब्लिश किया जाएगा।

1079/12/2026-27/12013 GATP-53/26

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम उज्जैन

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑन लाईन निविदाओं का आंमत्रण केन्द्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नानुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी एस.ओ.आर. दिनांक 02.08.2021 से लमसम आधार पर किया जाता है।

नि.स.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनु. लागत	प्रतिभूति राशि	ऑन लाईन निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	निविदा क्रय एवं दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
2026_UAD_510730_1	सदावल एस.टी.पी. के फेक्यूलेटिव पोण्ड पर सफाई कार्य।	5248350/-	52490/-	10000/-	365 दिवस	25-06-2026
2026_UAD_510766_1	हरसिद्धी की पाल से चक्रतीर्थ पंप हाऊस तक 1600 एम.एम. व्यास स्टोर्म वाटर पाईप लाईन का सफाई कार्य।	503975/-	10100/-	2000/-	30 दिवस	16-06-2026

निविदा संबंधित अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा सूचना की जानकारी वेब साईट https://mptenders.gov.in पर ऑन लाईन दर्शाई गई हैं।

कार्यपालन यंत्री 'अमृत' नगर पालिक निगम, उज्जैन

आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन

होटलों, अस्पतालों में फायर सेफ्टी उपकरण बंद मिले

भास्कर संवाददाता | इंदौर

दिल्ली के एक होटल में आग लगने की घटना में कई लोगों की मौत के बाद इंदौर में होटलों और व्यावसायिक भवनों में फायर सेफ्टी व्यवस्था की विशेष जांच शुरू कर दी गई है। नगर निगम, फायर ब्रिगेड और भवन अनुज्ञा शाखा की संयुक्त टीम द्वारा किए जा रहे निरीक्षण में कई होटलों और भवनों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं मिले हैं। ऐसे भवन संचालकों को तीन दिन के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के नोटिस जारी किए गए हैं। तय समय सीमा के बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा और कमियां मिलने पर संबंधित भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया, टीम ने विभिन्न होटलों और व्यावसायिक भवनों का निरीक्षण कर फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम, इमरजेंसी एक्जिट और आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था की जांच की। सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र के श्री गुरुकृपा होटल, होटल वैष्णव पैलेस, होटल दी मीरा, होटल दी क्लीन इंदौर, होटल दिलीप, होटल वैष्णव सहित कई भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं में गंभीर कमियां पाई गई हैं।

467 भवनों का सर्वे, 32 भवन पहले ही सील : भवन अनुज्ञा शाखा के अनुसार अब तक शहर के विभिन्न जोन में 467 भवनों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें 305 भवनों में फायर सेफ्टी उपकरण स्थापित और संचालित अवस्था में मिले, जबकि 157 भवनों में बंद पाए गए या अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिली। ऐसे मामलों में 101 भवन संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर अब तक 32 भवनों को सील किया जा चुका है।

M.P. PASCHIM KSHETRA VIDYUT VITARAN CO. LTD.

Office of the Executive Engineer (STC), Indore

Phone No. : 0731-2422042, Email : stc.division@gmail.com

No.EE/STC/INDORE/26-27/TS-37 to 53/999 Date : 04.06.26

E-TENDER INVITING NOTICE

E-tenders are invited for erection service as per tender specifications.

Sr. No.	TS No.	Particulars	Tender Value (Approx)	Last Date of Online Submission of Bid	Due Date of Opening of Tender Online
1	EE/STC/INDORE/26-27/TS-37/999/04.06.26	Add. 5 MVA PTR at Rolai grid ss under Betma dc Dn Pithampur	813455.90	16.06.26 11:00 AM	18.06.26 03:00 PM
2	EE/STC/INDORE/26-27/TS-38/999/04.06.26	Addl. 3.15 MVA PTR, SS Biloda, under Sanwer Dc. of Indore Division	749375.28	16.06.26 11:00 AM	18.06.26 03:00 PM
3	EE/STC/INDORE/26-27/TS-39/999/04.06.26.	Addl. 3.15 MVA PTR, SS Pedmi, under Kampel Dc. of Indore Dn.	732657.04	16.06.26 11:00 AM	18.06.26 03:00 PM
4	EE/STC/INDORE/26-27/TS-40/.999/04.06.26.	Addl. 3.15 MVA PTR, SS Kachhaliya, under Ajnod Dc. of Dn Indore.	968843.48	16.06.26 11:00 AM	18.06.26 03:00 PM
5	EE/STC/INDORE/26-27/TS-41/999/04.06.26	3.15 MVA PTR at Murkheda SS at under Depalpur DC of Depalpur Dn .	757373.21	16.06.26 11:00 AM	18.06.26 03:00 PM
6	EE/STC/INDORE/26-27/TS-42/999/04.06.26	3.15 MVA PTR at Dharmat SS at under Chambal DC Dn Depalpur.	835018.86	18.06.26 11:00 AM	19.06.26 03:00 PM
7	EE/STC/INDORE/26-27/TS-43/999/04.06.26	Bifurcation of 11 kv feeder from Railway station Kachhaliya s.s. to CM rise school Kachhaliya under Ajnod DC Indore Dn.	417105.18	18.06.26 11:00 AM	19.06.26 03:00 PM
8	EE/STC/INDORE/26-27/TS-44/999/04.06.26	5 MVA S.S. Village Kalighati under Manpur d.c. Mhow Dn.	2279335.08	18.06.26 11:00 AM	19.06.26 03:00 PM
9	EE/STC/INDORE/26-27/TS-45/999/04.06.26	5 MVA ss in village Matlabpura under Hasalpur dc of dn Mhow	1801912.37	18.06.26 11:00 AM	19.06.26 03:00 PM
10	EE/STC/INDORE/26-27/TS-46/999/04.06.26	5 MVA add. PTR at Gunawad ss under Ghatabillod dc of dn Pithampur	547317.91	18.06.26 11:00 AM	19.06.26 03:00 PM
11	EE/STC/INDORE/26-27/TS-47/999/04.06.26	33 kv line bifurcation of 33 kv Murkheda feeder from ratankhedi ss to paliya ss under paliya dc.	2168724.09	18.06.26 11:00 AM	19.06.26 03:00 PM
12	EE/STC/INDORE/26-27/TS-48/999/04.06.26	Bifurcation of Betma 33 kv feeder at lorofy pipe to jalodiyapanth ss under Depalpur dn.	909357.78	22.06.26 11:00 AM	23.06.26 03:00 PM
13	EE/STC/INDORE/26-27/TS-49/999/04.06.26	Bifurcation of 11kv feeder from railway station kachchaliya ss to cm rise school kachchliya ex. Fdrhariyakhedi under Ajnod dc.	432500.99	22.06.26 11:00 AM	23.06.26 03:00 PM
14	EE/STC/INDORE/26-27/TS-50/999/04.06.26	Bifurcation of 11 kv atahedairrfdr under sumtha ss through new 11 kvfdr from sumtha ss under ataheda dc.	525597.43	22.06.26 11:00 AM	23.06.26 03:00 PM
15	EE/STC/INDORE/26-27/TS-51/999/04.06.26	33 kv kinetic honda feeder bifurcation in sstd scheme 220 kv sector I to fatepuriya company.	839032.57	22.06.26 11:00 AM	23.06.26 03:00 PM
16	EE/STC/INDORE/26-27/TS-52/999/04.06.26	33 kv Nicholas feeder bifurcation 220 kv sector I to pahadi par sector II. Pithampur.	873092.50	22.06.26 11:00 AM	23.06.26 03:00 PM
17	EE/STC/INDORE/26-27/TS-53/999/04.06.26	5 MVA ss Prop For Korbhaan Village Under Harsola Dc of Dn Mhow.	3344375.28	22.06.26 11:00 AM	23.06.26 03:00 PM

For further information or amendment visit Website **https://www.mpwz.co.in & https://www.mptenders.gov.in**

M.P. Madhyam/126191/2026 **EXECUTIVE ENGINEER (STC)**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

मण्डल कार्यालय उज्जैन – बी–13/1 एवं 13/2, प्रथम मंजिल, महाकाल वाणिज्य केन्द्र, नानाखेड़ा, उज्जैन, 456010

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नींचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर **'जैसा है जहां है'**, **'जैसा है'** और **'जो कुछ भी है'** पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से बैंक/सुरक्षित ऋणदाता को देय। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होगी।

	शाखा / ऋणीयों / जमानतदारों का नाम	संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक / बंधककर्ता का नाम	मांग नोटिस दिनांक सुरक्षित ऋण कब्जा दिनांक कब्जे की प्रकृति	आरक्षित मूल्य अग्रिम जमा बोली की वृद्धि (लाख में)	ई–निलामी की दिनांक एवं समय
01.	शाखा – धानमंडी, रतलाम (040900) श्री अबुबकर सिद्दकी पिता मोहम्मद हुसैन एवं श्रीमती जुलेखा बी पति अबुबकर सिद्दकी, स्वामित्व – श्रीमती जुलेखा बी पति अबुबकर सिद्दकी	संपत्ति के सभी प्रमुख भाग रहवासी मकान स्थित म्यू. क्रमाक 05, हकीमवाड़ा, रतलाम (म.प्र.) **क्षेत्रफल** – 544.50 स्के.फीट, **सीमाएं: उत्तर**- नाला, **दक्षिण**- मुख्य सड़क, **पूर्व**- मोहम्मद सलाम अब्बासी का मकान, **पश्चिम**- मोहम्मद यासीन अब्बासी का मकान, **स्वामित्व – श्रीमती जुलेखा बी पति अबुबकर सिद्दकी**	21.12.2023 रु. 9,81,087.21 +ब्याज व अन्य खर्च 21.05.2024 सांकेतिक कब्जा	15.44 1.54 0.20	23/06/2026 11am to 4pm प्रत्येक 10 मिनिट के असीमित विस्तार सहित
02.	शाखा : दो बत्ती एरीया रतलाम (630400) नेहरू हुसैन खान	संपत्ति के सभी प्रमुख भाग स्थित मकान नं. 57 का भाग पुरोहित का वास, रतलाम (म.प्र.) **क्षेत्रफल** – 472.87 स्के फीट, **सीमाएं - पूर्व** : गली, **पश्चिम** : मकान अन्य का, **उत्तर** : मकान फैज साहीब का, **दक्षिण** : मकान भूराबाई का **स्वामित्व – श्री फकरूद्दीन खान पिता अब्दुल रहमान**	15.09.2022 रु. 7,71,728.16 +ब्याज व अन्य खर्च 21.12.2022 सांकेतिक कब्जा	8.10 0.81 0.10	23/06/2026 11am to 4pm प्रत्येक 10 मिनिट के असीमित विस्तार सहित
03.	शाखा : अल्कापुरी, रतलाम (324100) प्रेमलता कुमावत पत्नी मनोहरलाल एवं रवि कुमावत पिता मोहनलाल	संपत्ति के सभी प्रमुख भाग स्थित मकान नं.177 (भाग), ओसवाल नगर, रतलाम, म.प्र. 457001, **क्षेत्रफल** – 500 स्के. फिट, **सीमाएं - पूर्व** : प्लाट नं. 176, **पश्चिम** : प्लाट नं. 177 का भाग, **उत्तर** : रोड, **दक्षिण** : अन्य की भूमि, **स्वामित्व – प्रेमलता कुमावत पत्नी मनोहरलाल एवं रवि कुमावत पिता मोहनलाल**	18.12.2023 रु. 11,80,147.00 +ब्याज व अन्य खर्च 21.02.2024 भौतिक कब्जा	11.16 1.12 0.20	23/06/2026 11am to 4pm प्रत्येक 10 मिनिट के असीमित विस्तार सहित
04.	शाखा : धानमंडी रतलाम (040900) अशोक सिंह सौलंकी एवं प्रेम सिंह सौलंकी	मकान नं. 9 का भाग नेमीनाथ नगर, रतलाम (म.प्र.) 457001 **क्षेत्रफल** – 500 स्के फीट, **सीमाएं - पूर्व** : अन्य का मकान, **पश्चिम** : रोड, **उत्तर** : प्लॉट नं. 9 पर मकान, **दक्षिण** : बैरागी जी का मकान **स्वामित्व – अशोक सिंह सौलंकी एवं प्रेम सिंह सौलंकी**	16.10.2023 रु. 15,72,106.00 +ब्याज व अन्य खर्च 21.12.2023 भौतिक कब्जा	13.77 1.38 0.20	23/06/2026 11am to 4pm प्रत्येक 10 मिनिट के असीमित विस्तार सहित

नियम और शर्तें –

बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

1. संपत्तियों को **'जैसा है जहां है के आधार पर'** और **'जैसा है जो है के आधार पर'** और **'जो भी है'** के आधार पर बेचा जा रहा है।
2. यहां उम्मर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफॉर्म वेबसाइट https://BAANKNET.com पर 23/06/2026 @ 11.00 AM के माध्यम से की जाएगी।
4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://BAANKNET.com & www.pnbindia.in देखें।

स्थान : उज्जैन, दिनांक 05.06.2026 प्राधिकृत अधिकारी / नोडल अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार